Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चित्तौडगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *01 मार्च, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट इकाई, उदयपुर द्वारा आज चित्तौड़गढ़ में राहुल मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चाकुड़ा अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत उमण्ड, पं. स. कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ को परिवादी से **10 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट इकाई, उदयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मकान का पट्टा जारी करने की एवज में राहुल मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चाकुड़ा अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत उमण्ड, पं. स. कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा परिवादी से **10 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की स्पेशल यूनिट इकाई, उदयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री आदर्श कुमार परिहार** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये राहुल मीणा पुत्र श्री श्रवण कुमार निवासी मकान नं0 224, विजन कॉलेज के पीछे, सेंती, जिला चित्तौड़गढ़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चाकुड़ा अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत उमण्ड, पं. स. कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ को परिवादी से **10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।